



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ, 1942 (श०)

संख्या- 109 राँची, बुधवार,

10 फरवरी, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

25 जनवरी, 2021

संख्या-5/आरोप-1-98/2016-781 (HRMS)-- श्री बिजय कुमार सोनी, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजमहल, साहेबगंज के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3866, दिनांक 25.07.2016 के माध्यम से उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-1341/ जि0ग्रा0, दिनांक 07.06.2016 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। श्री सोनी के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

(क) प्रखण्ड कार्यालय के अधीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजमहल के पद पर पदस्थापित रहने के दौरान वर्ष 2016-17 में राज्य सरकार की महत्वकाँक्षी योजना मनरेगा के अन्तर्गत जल संरक्षण की योजना डोभा निर्माण कार्य में उपायुक्त, साहेबगंज के गोपनीय शाखा से निर्गत पत्रांक-728/गो0, दिनांक 26.04.2016, इस कार्यालय के पत्रांक-1053/जि0ग्रा0, दिनांक 29.04.2016, पत्रांक-1102/जि0ग्रा0, दिनांक 16.05.2016, पत्रांक-1229/जि0ग्रा0, दिनांक 23.05.2016, पत्रांक-1259/जि0ग्रा0, दिनांक 28.05.2016 एवं विभागीय पत्रांक- (N)842, दिनांक 10.05.2016 सह पठित ज्ञापांक-1177/जि0ग्रा0, दिनांक 14.05.2016 द्वारा दिये गये निदेश एवं लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति नहीं होने के कारण तथा डोभा निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने, उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना करना।

(ख) श्री बिजय कुमार सोनी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजमहल के उक्त कृत्य से मनरेगा अन्तर्गत सरकार द्वारा लक्षित जल संचय की योजना “डोभा निर्माण” का कार्य लक्ष्य के अनुरूप नहीं होने एवं दिनांक 29.05.2016 तक 45 डोभा की योजना पूर्णता के कारण दिनांक 30.05.2016 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में आहूत विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजमहल के विरुद्ध नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रपत्र-‘क’ की माँग की गई है।

(ग) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजमहल के डोभा निर्माण की योजना में धीमी गति के कारण मानसून पूर्व में लक्ष्य के अनुरूप निर्माण पूर्ण कर पाना संभव नहीं होती है, जिसके कारण इस कार्यालय के पत्रांक-1299/जि0ग्रा0, दिनांक 03.06.2016 से स्पष्टीकरण पृच्छा करते हुए 24 घंटे के भीतर जवाब की माँग की गई थी, किन्तु अब तक अप्राप्त रहने के कारण उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना की गई।

(घ) श्री बिजय कुमार सोनी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजमहल द्वारा उक्त कार्य कर सरकारी सेवक के आचरण के विपरीत पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया है, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम- 3(I)(i) एवं (ii) के प्रतिकूल आचरण है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7467, दिनांक 29.08.2016 द्वारा श्री सोनी से स्पष्टीकरण की माँग की गई एवं इनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर इसके लिए स्मारित भी किया गया। इसके अनुपालन में श्री सोनी ने अपने पत्र, दिनांक 22.11.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि-

(क) प्रखण्ड राजमहल के लिए डोभा निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध दिनांक 29.05.2016 तक प्रखण्ड में 45 डोभा भौतिक रूप से पूर्ण तथा 203 डोभाओं में कार्य लगा हुआ था। दिनांक 31.05.2016 तक 332 के विरुद्ध 65 डोभाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया था, जबकि 212 डोभा पर कार्य प्रारंभ था।

(ख) दिनांक 30.05.2016 को मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में आहूत विडियो कॉन्फ्रेंसिंग की कार्यवाही में प्रखण्ड- राजमहल, जिला-साहेबगंज का उल्लेख नहीं है।

(ग) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के पत्रांक-1299/जि0ग्रा0, दिनांक 03.06.2016 द्वारा पूछा गया स्पष्टीकरण संबंधी पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हुआ था।

श्री सोनी के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-10917, दिनांक 22.12.2016 द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज से मंतव्य की माँग की गई एवं इसके लिए स्मारित भी किया गया। उक्त के आलोक में उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-25(मु0)/जि0ग्रा0, दिनांक 01.10.2020 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा उल्लेख किया गया कि-

“उल्लेखित आरोपों की विवरणी एवं इस पर श्री बिजय कुमार सोनी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजमहल द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के आलोक में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा योजना अन्तर्गत डोभा निर्माण कार्य का निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्ण करा लिया गया था।”

श्री सोनी के विरुद्ध आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, साहेबगंज से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत, श्री बिजय कुमार सोनी, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजमहल, साहेबगंज को इस मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री बिजय कुमार सोनी, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BIJAY KUMAR SONI 110001163082	श्री बिजय कुमार सोनी, झा0प्र0से0, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, राजमहल, साहेबगंज को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
